वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमानों पर माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2015–2016 का बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मान्यवर,

मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि यह बजट सिर्फ सरकारी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा भर नहीं है बल्कि यह बजट हमारी समाजवादी सरकार के मूल्यों और प्रतिबद्धताओं का आईना है और यह प्रदेश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को दर्शाता है।

मान्यवर,

मैं इस गरिमामय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। शुरूआत के वर्षों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता यह थी कि हमने जनता से चुनाव के पूर्व जो वायदे किये थे, वह पूरे किये जायें। आप जानते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा के लोगों की कथनी और करनी में कभी कोई फर्क नहीं रहा है और इस सदन के सहयोग से पिछले वर्षों के बजट के माध्यम से हमने अधिकांश वायदों को पूरा किया है। सरकार की यह कोशिश रही है कि जहाँ एक ओर

प्रदेश के विकास की दर को बढ़ाया जाये, वहीं दूसरी ओर, यह सुनिश्चत किया जाये कि इस विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर के उस व्यक्ति को मिले जिसके प्रति हम सबकी जिम्मेदारी है।

मान्यवर,

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इन वर्षों में प्रदेश की विकास दर न केवल देश की विकास दर से अधिक रही है बल्कि हम ऐसे तमाम निर्णयों को लागू करने और कार्यक्रमों को चलाने में सफल रहे हैं जिसका लाभ सीधे समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों–जनजातियों के लोगों को मिला है। यह और भी संतोष का विषय है कि ऐसा करते वक्त हमने प्रदेश के वित्तीय अनुशासन को बनाये रखा है और जनता पर करों का कोई बोझ नहीं बढ़ाया है।

मान्यवर,

आप जानते हैं कि मेरी सरकार ने हर वर्ष पारदर्शिता के साथ विकास का एजेण्डा जनता के सामने रखा है और हर वर्ष निर्धारित विकास एजेण्डा के हिसाब से कार्य होता रहा है। वर्ष 2015–2016 में भी विकास एजेण्डा में तीन मुख्य सूत्र रखे गये हैं:– पहला, सहभागी विकास ताकि जहाँ एक ओर अवस्थापना सुविधाओं में सुधार लाकर प्रदेश में विकास की दर को बढ़ाया जा सके वहीं दूसरी ओर उस विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग – किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि को

मिल सके, दूसरा, योजना और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवीनतम तकनीकों का प्रयोग, तथा तीसरा, प्रभावी और पारदर्शी प्रशासन ।

मान्यवर,

मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि आजकल व्यवहारिक बात–चीत में जो इन्क्लूसिव व इक्वीटेबल ग्रोथ या सस्टेनबल डेवलपमेन्ट की बात कही जाती है, वही हम समाजवादियों का मूल दर्शन शुरू से रहा है। प्रस्तावित बजट में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि समाज के गरीब एवं पिछड़े तबके के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँच सके और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से उत्पादक अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर विशेष बल दिया गया है जिससे विकास को गति मिल सके। इसके साथ ही, समाज के पिछड़े तबके के लोगों के हितों का भी ध्यान रखा गया है।

प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों का अंश लगभग 30 प्रतिशत है जबकि हमारे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इन व्यवसायों पर आजीविका के लिए निर्भर है। इससे स्वतः स्पष्ट है कि खेती किसानी को सुदृढ़ किया जाना हमारे आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। किसानों के चौतरफा विकास एवं कल्याण हेतु यह आवश्यक है कि खेती किसानी से सम्बन्धित व्यवसायों पर अधिक बल दिया जाय और इसी संदर्भ में हमारी सरकार ने वर्ष 2015–16 को "किसान वर्ष" के रूप में

कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों की कल्याणकारी योजनायें चलाना, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना, उन्नत श्रेणी के बीजों के प्रयोग को बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ाने पर जोर दिया गया है जिससे विभिन्न फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो एवं कृषि क्षेत्र का विविधीकरण हो सके। किसी क्षेत्र विशेष या किसी योजना विशेष के लिए यदि कोई किसान या गाँव आगे आते हैं तो सरकार उनको बढ़ावा देगी।

लाभार्थी आधारित कार्यक्रमों यथा–समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान, विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं आदि के अन्तर्गत किये जाने वाली धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है।

समाज में आये दिन ऐसी घटनायें घटित हो रही हैं जिनमें निजी वित्तीय कम्पनियाँ छोटे निवेशकों की जमा पूँजी लेकर उन्हें धोखा देकर गायब हो जाती हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा शीघ्र एक कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है जिससे प्रदेश के छोटे निवेशकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित किया जा सके, जिसके लिये राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के साथ–साथ तकनीकी रूप से सक्षम तथा शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्र में योजनाओं के क्रियान्वयन, सर्विस डिलीवरी और गवर्नेन्स को और अधिक पारदर्शी एवं बेहतर बनाये जाने के लिये हमारी सरकार कुशल और स्वच्छ तकनीक का प्रयोग किये जाने और उसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिये कटिबद्ध है और इसके लिये बजट में विभिन्न योजनाओं में समुचित प्रावधान किये गये हैं।

बेहतर वित्तीय प्रबन्धन एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिये एक नई कार्य संस्कृति का सृजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश की राजस्व प्राप्तियाँ व भुगतान हेतु ई–प्राप्ति तथा ई–भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित कर दी गई है तथा प्रशासकीय विभागों को वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने के अधिकारों का प्रतिनिधायन एक सीमा तक किया गया है जिससे वित्तीय स्वीकृतियाँ वर्ष के प्रारम्भ में ही उनके स्तर से जारी की जा सकें और योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्रता से हो सके, जिसका लाभ योजनाओं की लागत बढ़ाये बिना समयान्तर्गत जनता को मिल सके।

मान्यवर,

पिछले वर्ष जून में इसी सदन में बजट प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि बजट में समाज के हर वर्ग के लिये आशा और प्रतिबद्धता का संदेश है। मैंने यह भी कहा था कि हमारी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक नई और महत्वाकांक्षी

योजनायें आरम्भ की हैं। प्रदेश के किसानों, गरीबों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के विकास एवं कल्याण के साथ –साथ प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था लागू करने, बिजली, सड़क, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और विस्तार तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा प्रभावकारी रूप से क्रियान्वित किये गये जिनके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये हैं। मैं संक्षेप में इनका उल्लेख करना चाहूँगा।

मान्यवर,

हमारी सरकार का मानना है कि कोई भी देश और प्रदेश आज के युग में बेहतरीन और आधुनिक अवस्थापना के बिना तेजी से विकास नहीं कर सकता। आम आदमी के बेहतर जीवन के लिए, उद्योग–धन्धों की बेहतरी और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाया जाये। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सबके सहयोग से मेरी सरकार ने लखनऊ–आगरा प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस–वे बनाने का कार्य धरातल पर आरम्भ कर दिया है। इसके बन जाने से न केवल पूरे क्षेत्र में विकास के नये आयाम स्थापित होंगे बल्कि औद्योगिक विकास के साथ–साथ किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य भी मिल सकेगा। इस एक्सप्रेस–वे के बन जाने से एन0सी0आर0 क्षेत्र का विकास मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखने लगेगा। प्रदेश के सभी

जनपद मुख्यालयों को चार लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य चल रहा है, सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया जा रहा है तथा पहली बार प्रदेश के चार शहरों में मेट्रो की व्यवस्था कराये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लखनऊ मे मेट्रो का कार्य जमीन पर होते हुए कोई भी देख सकता है।

मान्यवर,

हमारी सरकार द्वारा सड़क और पुल की व्यवस्था के साथ–साथ विद्युत अवस्थापना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गये हैं और विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण इत्यादि सभी क्षेत्रों में तीव्र गति से कार्य हो रहे हैं जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 16 घण्टे एवं शहरी क्षेत्र को 22 से 24 घण्टे विद्युत सप्लाई की जा सके। प्रदेश में करीब 1188 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 209 नये विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया है। परम्परागत ऊर्जा के साथ–साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किये गये हैं। सौर ऊर्जा नीति के अर्न्तगत विशेषकर बुन्देलखण्ड में कई सौर ऊर्जा प्लान्ट क्रियाशील किये जा रहे हैं।

प्रदेश में अवस्थापना में सुधार और सकारात्मक औद्यौगिक माहौल बनाये जाने की वजह से पूँजी निवेश होने लगा है और निजी क्षेत्र की बड़ी–बडी कंपनियाँ जैसे– सैमसंग, इन्फोसिस, एच0सी0एल0, टाईम्स ग्रुप, एज्योर ग्रुप, रिलायंस, अमूल इत्यादि प्रदेश में निवेश करने को तत्पर हुई हैं। हमें आशा और विश्वास है कि इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें बेहतर जीवन मिल पायेगा। हमारी

सरकार के इसी प्रकार के कार्यक्रमों की वजह से प्रदेश की विकास दर, देश की विकास दर से अधिक रही है और मुझे विश्वास है कि यदि हम सब मिलकर इसी दिशा में, इसी कर्मठता से कार्य करते रहे तो प्रदेश की विकास दर और अधिक बढ़ सकेगी।

मान्यवर,

हमारा मानना है कि विकास की तीव्र गति तभी मायने रखती है जब उसका लाभ समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से परम्परागत रूप से वंचित गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, छात्रों, मजदूरों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति–जनजाति के लोगों को मिले।

मान्यवर,

मैंने इसी सदन में समाजवादी पेंशन योजना के लिए बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने देश के इस सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर दिया है जिससे 40 लाख गरीब परिवारों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है। आप सब जानते हैं कि इस आकार का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम देश की किसी भी सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है जिसमें लाखों लोगों को सरकार की सहायता सीधे और पारदर्शी रूप से प्राप्त हुई हो। इस योजना के माध्यम से न केवल प्रदेश के गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गयी है बल्कि उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अनुप्रेरित भी किया जा रहा है जो कि एक अनूठा प्रयास है। इस तरीके से यह

योजना आकार और प्रकार दोनों तरह से एक अभिनव योजना है।

मान्यवर,

आप जानते हैं कि मेरी सरकार हमेशा से किसानों एवं ग्रामीणों के हितों के लिए प्रतिबद्ध रही है। हमने ऐतिहासिक निर्णय लेकर पूरे प्रदेश में मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई एवं मुफ्त दवाई की व्यवस्था लागू की है। हमारी सरकार की यह कोशिश रही है कि किसानों को खाद, बीज और नई से नई तकनीक समय से उपलब्ध हो सके। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके इसके लिए सरकार ने न केवल न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाया है बल्कि उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद के माध्यम से किसान बाजारों और मण्डी स्थलों का निर्माण भी कराया जा रहा है।

कृषि भूमि बन्धक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन की नीलामी से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7,57,000 किसानों का 1779 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दामों में कमी से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित को देखते हुये सहायता दी जा रही है जिससे गन्ना किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान सम्भव हो रहा है।

मान्यवर,

मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश के चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के हित के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र सरकार यह सुनिश्चित करे कि बाजार में चीनी के दामों में स्थायित्व आये। मैनें इस बारे में मा0 प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है क्योंकि ऐसे नीति निर्धारण केवल केन्द्र सरकार ही कर सकती है।

मान्यवर,

शिक्षकों की कमी बहुत समय से महसूस की जा रही थी जिससे शिक्षा का स्तर भी प्रभावित हो रहा था । आप सभी अवगत हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है और बिना उचित शिक्षा प्राप्त किये हुये सही रोजगार और व्यवसाय प्राप्त नहीं होता है। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जिसके फलस्वरूप 18,127 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती की जा चुकी है। 15 हजार बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया गतिमान है। प्राथमिक विद्यालयों के लिये 72,825 बी0एड0, टी0ई0टी0 अर्हताधारी प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जिसमें लगभग 52,000 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान/गणित अध्यापकों की सीधी भर्ती हेतु 29,334 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रदेश में कार्यरत 1,65,306 शिक्षा मित्रों में से प्रथम चरण में प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 58,903 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन किया जा चुका है । द्वितीय चरण में लगभग 92,000 शिक्षा मित्रों का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 6,645 रिक्त पदों तथा अनुदानित महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 1,652 पदों पर भर्ती की कार्यवाही गतिमान है। राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्ताओं की आर्थिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये नियत संविदा राशि 21,600 रुपये पर महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया ।

प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं अपराधों की विवेचना को सुदृढ़ करने लिये पुलिस बल की आवश्यकता होती है जिसके दृष्टिगत 35,500 पुलिस कॉन्स्टेबल, 4033 पी.ए.सी. कॉन्स्टेबल, 2077 फायर मैन, 3698 उप निरीक्षक तथा 312 प्लाटून कमाण्डर पी.ए.सी. के पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की कार्यवाही चल रही है ।

उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त अन्य विभागों में भी भर्तियाँ कराई जा रही हैं जिससे एक ओर सुशासन सुनिश्चित होगा तथा वहीं दूसरी ओर रोजगार में वृद्धि होगी।

मान्यवर,

प्रदेश का विकास तभी संभव है जब अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। आप सभी

जानते हैं कि प्रदेश में पिछले एक वर्ष में सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने के तमाम प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किये गये हैं। परन्तु हमने हर मौके पर तत्परता से कार्य किया और सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सफलता प्राप्त की। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मेरी सरकार किसी भी स्थिति में असामाजिक तत्वों को प्रदेश का माहौल खराब करने की अनुमति नहीं देगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास और उनके संवैधानिक हितों की रक्षा के साथ–साथ उनकी अशिक्षा और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कृत– संकल्प है।

मान्यवर,

हमारा मानना है कि किसी समाज का भविष्य उनके युवाओं और छात्रों में निहित होता है और हम उनकी आशाओं और अकांक्षाओं को नजरअन्दाज नहीं कर सकते। जहाँ हमने एक ओर युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता खोला है वहीं कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापरक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें बड़ी–बड़ी कंपनियों का योगदान लिया जा रहा है।

आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये टॉल फ्री नम्बर 108 और 102 के माध्यम से आपातकालीन मोबाइल वैनों का संचालन 24 घण्टे निःशुल्क किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, जैसा कि आप सभी अवगत हैं।

मान्यवर,

मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने प्रदेश की जनता के विकास और कल्याण के लिये जो भी नये कार्यक्रम चलाये हैं। इनके लिये संसाधनों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से की गयी है। हमें आशा है कि प्रदेश के विकास में केन्द्र सरकार और प्रदेश से चुने गये सांसदों का पूरा सहयोग मिल सकेगा।

मान्यवर,

अब मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में सम्मिलित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूँगा ।

कृषि और किसान

वर्ष 2013–2014 के अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत आँकलित हुई है, जो देश की विकास दर 4.7 प्रतिशत से अधिक है।

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारा यह मानना है कि प्रदेश और देश का विकास तब तक सम्भव नहीं है जब तक कृषि को बढ़ावा न दिया जाय और देश में तब तक खुशहाली नहीं आ सकती जब तक किसान खुशहाल न हो। इस संदर्भ में जैसा मैं पहले कह चुका हूँ वर्ष 2015–2016 को "किसान वर्ष" घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

हमारे प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आजीविका के लिये निर्भर कृषि पर है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि कृषि और किसान की हमारे लिये क्या महत्ता है।

कृषि शिक्षा पाए हुए युवाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिये एवं किसानों को कृषि निवेश तथा अन्य उपयोगी सामग्री निकट स्थानों पर उपलब्ध कराने के लिये एक नई योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके अन्तर्गत इन युवाओं द्वारा किसानों के लिये "वन स्टॉप शॉप" स्थापित किये जायेंगे, जिसका नाम "एग्री जंक्शन" होगा। इस हेतु बैंक से लिये जाने वाले ऋण के ब्याज पर राज्य सरकार की ओर से 5 प्रतिशत की दर से अनुदान दिया जायगा। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में ऐसे 1000 एग्री जंक्शन स्थापित किये जायेंगे।

बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिये संकर बीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ रुपये, प्रमाणित बीजों पर अनुदान हेतु 81 करोड़ रुपये तथा रासायनिक खादों के अग्रिम भण्डारण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

सिंचाई से सम्बन्धित प्रदेश सरकार की घोषित नीति के अन्तर्गत किसानों को मुफ्त सिंचाई उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें 200 करोड़ रुपये की माफी के लिये बजट व्यवस्था की गई है।

किसानों के निजी नलकूपों का तत्काल ऊर्जीकरण कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त

संसाधनों की व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2015 तक सभी लम्बित आवेदनों का निस्तारण शत प्रतिशत हो जायेगा और वित्तीय वर्ष 2015–2016 में ऊर्जीकरण का आवेदन प्राप्त होते ही तत्काल ऊर्जीकरण सुनिश्चित कराया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा कृषि क्षेत्र को कम से कम 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार ने फीडर सेपरेशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये लगभग 7000 करोड़ रुपये की योजना तैयार की जा रही है।

लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस परिवहन सेवा के माध्यम से किसान सस्ती दरों पर अपने गाँव से ब्लाक, तहसील और जिला मुख्यालय जा सकेंगे और बाजारों तक अपने उत्पाद को भी सुगमतापूर्वक ले जा सकेंगे।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं कृषि नीति, 2013 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2015–2016 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 626.64 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.03 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। तिलहन उत्पादन को बढ़ाने हेतु सहायता अनुदान के रूप में लगभग 3.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

वर्ष 2015–2016 में 63.10 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें खरीफ की फसलों के लिये 11 लाख कुन्तल एवं रबी की फसलों हेतु 52.10 लाख कुन्तल का वितरण किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2015–2016 में 778 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ खातेदार –सहखातेदार कृषकों जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो, के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण राशि अधिकतम 5 लाख रुपये है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

किसानों के द्वारा कड़ी मेहनत से अपनी फसलों को उगाया जाता है और सरकार का यह फर्ज बनता है कि उनको उपज का सही मूल्य मिले। इसके लिये रबी विपणन वर्ष 2014–2015 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई। गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1400 रुपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत 45 लाख मीट्रिक टन गेहूँ के क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है

तथा गेहूँ की खरीद हेतु प्रदेश में 5045 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

खरीफ वर्ष 2014–2015 में धान की खरीद के लिये प्रदेश में 2386 क्रय केन्द्र खोले गये हैं । मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।

किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिये 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है । भूमि सेना योजना हेतु 114 करोड़ रुपये की व्यवस्था है ।

कृषि विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ–साथ जनपद आजमगढ़ तथा लखीमपुर खीरी में नये कृषि महाविद्यालयों की स्थापना तथा कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में 02 नये छात्रावासों की स्थापना की जा रही है जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट में 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिससे प्रदेश में कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को बढ़ावा मिले ।

गन्ना की फसल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कैश क्रॉप है । गन्ना किसानों का हित संवर्द्धन शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीनी के भावों में लगातार गिरावट आने के बावजूद सरकार ने गन्ना किसानों के हितों की रक्षा की है। गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1152 करोड़ रुपये तथा गन्ना समितियों को सोसाइटी कमीशन की

प्रतिपूर्ति हेतु 442 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

हमने गन्ना किसानों के प्रशिक्षण के लिये चीन और इण्डोनेशिया के भ्रमण का आयोजन कराया ।

गन्ना क्षेत्र के विकास हेतु हमारी सरकार द्वारा उत्तम कोटि के गन्ना बीज परिवर्तन का एक बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिससे गन्ने की उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी में हो रही वृद्धि के परिणाम भी सामने आने शुरू हो गये हैं।

वर्ष 1975–76 में स्थापित तथा 2007–08 से बंद सहकारी चीनी मिल सठियाँव के स्थान पर 3500 टीसीडी क्षमता की नई चीनी मिल, को–जनरेशन एवं आसवनी प्लांट की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे वहाँ के गन्ना किसान समृद्ध हो सकें और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास हो।

बागवानी विकास के लिये वर्ष 2015–2016 में विभिन्न फलों यथा–आम,अमरूद, लीची, आँवला, टिशू कल्चर केला, बेर, बेल तथा नींबू वर्गीय फलों के नवीन उद्यानों का रोपण, गुणवत्ता परक पौधों के उत्पादन हेतु मॉडल एवं छोटी पौधशालाओं की स्थापना, सब्जी एवं आलू के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, फूलों में गुलाब, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा एवं गेंदा की खेती, मसालों में लहसुन, अदरक, मिर्च एवं हल्दी की खेती, औषधीय एवं सगन्ध पौधों का क्षेत्र विस्तार आदि कार्यक्रम प्रस्तावित है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत

किसानों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि तथा विपणन व निर्यात को प्रोत्साहन, गुणवत्तायुक्त आलू बीज का उत्पादन एवं उनका वितरण कराये जाने के उद्देश्य से आलू विकास नीति, 2014 लागू है।

उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन–तृतीय परियोजना 29 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 1206 करोड़ रुपये है। परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार हेतु 1.30 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के दौरान परियोजना के कार्यकलापों के लिये 168 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान 15000 हेक्टेयर ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित है जिससे परियोजना जनपदों के लगभग 45,000 किसानों की आय में वृद्धि होगी।

किसानों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 04 जनपदों –लखनऊ, इटावा, मैनपुरी व झाँसी में "किसान बाजार" की योजना के अन्तर्गत झाँसी में किसान बाजार का निर्माण पूरा हो चुका है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है। लखनऊ व इटावा में किसान बाजार का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये बहराइच, बिजनौर, मथुरा, बरेली तथा बस्ती जनपदों में 06 नवीन मण्डियों का निर्माण कराया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के सभी जिलों में एक–एक विशिष्ट मण्डी स्थल का निर्माण लगभग 434 करोड़ रुपये से कराया जा रहा है।

फल–सब्जी के लघु एवं सीमान्त कृषक उत्पादकों को कृषि उत्पाद के सही दाम मिलें इसके लिये उन्हें 5 मण्डियों यथा–कन्नौज, बहराइच,कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना के अन्तर्गत इन उत्पादों के परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

दुग्ध उत्पादकों की सुविधा हेतु जनपद गाजीपुर से वाराणसी तक दुग्ध उत्पादकों के निःशुल्क परिवहन हेतु दो बसें चलाई जा रही हैं।

सहकारिता

कृषि उत्पादकता को बनाये रखने और उसके आधुनिकीकरण के लिये पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिये आवश्यक है कि किसानों को ऋण की सुविधा आसानी से प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से सरकार ने 16 गैर–लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैकों को लाइसेंस प्राप्त कराकर ऋण वितरण का कार्य प्रारम्भ करने के लिये वित्तीय वर्ष 2014–2015 के बजट में 610 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई

थी तथा वर्ष 2015–2016 में 1029 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से 3 लाख रुपये तक अल्पकालिक फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

कृषि विविधीकरण

फसल एवं कृषिकर्म में उत्पादकता में वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिये यह आवश्यक है कि कृषि के साथ–साथ कृषि आधारित अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा दिया जाय जिन्हें किसान आसानी से अपना सकें और उनकी आमदनी बढ़ सके।

दुग्ध विकास

उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन की अपार सम्भावनायें हैं। दुग्ध विकास योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।

कामधेनु योजना हेतु बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

"ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध विकास कार्यक्रमों हेतु अवस्थापना सुविधा" योजनान्तर्गत बल्क मिल्क कूलर एवं ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिटों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु

ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट के लिये लगभग 3 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुपालन

पशुपालन गरीब व किसान की जीविका का मुख्य आधार है। इसकी ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आर्थिक आय के पूरक के रूप में भूमिका है। पशुपालन के विकास की दर 12 से 15 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में प्रदेश सरकार की कुक्कुट विकास नीति, 2013 के अन्तर्गत ब्रायलर पैरेन्ट फार्मिग की 10 इकाईयाँ तथा कॉमर्शियल लेयर्स फार्मिग की 90 इकाईयाँ स्थापित किये जाने का लक्ष्य है जिससे लगभग 302 करोड़ अण्डे तथा 1,91,700 कुन्टल मांस प्रति वर्ष प्रदेश में ही उत्पादित हो सकेगा।

प्रदेश में पशुओं की मृत्यु से होने वाली आर्थिक हानि से पशुपालकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के 39 जनपदों में राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलायी जा रही है, जिसे वर्ष 2015–2016 से पूरे प्रदेश में चलाया जाना प्रस्तावित है।

मत्स्य

कृषि हेतु अनुपयुक्त 200 हेक्टेयर जलप्लावित भूमि को तालाब के रूप में विकसित कराकर मत्स्य पालन के अन्तर्गत आच्छादित कराया जायेगा।

मछुआ समुदाय एवं मत्स्य पालकों के सामाजिक संरक्षण हेतु 2 लाख समिति के सदस्यों /सक्रिय

मत्स्य पालकों को निःशुल्क प्रीमियम पर आधारित मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित किया जायेगा ।

लोहिया आवासों की भाँति 750 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

ग्राम्य विकास

उत्तर प्रदेश का विकास सीधे तौर पर गाँवों के विकास से जुड़ा है। इसके लिये गाँवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ–साथ गाँवों में रोजगार के अवसर सृजित करने और ग्रामीण जनता के लिये कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क निर्माण और उच्चीकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 2,617 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अन्तर्ग्रामीण सड़कों के निर्माण / पुनर्निर्माण हेतु बजट में 106 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–2016 के लिये 2100 राजस्व ग्रामों में सी0सी0 रोड व के0सी0 ड्रेन और इन्टरलॉकिंग टाइल्स की व्यवस्था हेतु 550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना हेतु बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है । इस योजना के लिये 1,500 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद के माध्यम से हडको से ऋण लेकर योजना को संचालित किया जाना है ।

इन्दिरा आवास योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 3,033 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु लगभग 1,900 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय की लागत 10,000 रुपये के स्थान पर 12,000 रुपये की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लगभग 1,533 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट आधार पर शौचालयों के साथ–साथ स्नानगृह के निर्माण हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 35 जनपदों में विकास कार्यों के लिये क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में 773 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना हेतु 756 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

महिलाओं के लिये

हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण व उनके उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से कतिपय योजनाएं बजट में शामिल की गई हैं जिनमें से कुछ मुख्य योजनाओं का विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

महिलाओं का उत्पीड़न रोकने और उनके सशक्तिकरण हेतु महिला सम्मान कोष का गठन किया गया है । इसके लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश में पहली बार वीमेन पॉवर लाईन–1090 की ऐतिहासिक शुरूआत की गयी । अब प्रदेश में प्रत्येक जनपद में महिला हेल्प लाईन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऐसी महिलाएं/बालिकाएं जो जघन्य अपराध से पीड़ित हैं, को आर्थिक क्षतिपूर्ति/स्वास्थ्य राहत देने और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वास्थ्य राहत देने के उद्देश्य से 11 जनपदों में "आशा ज्योति केन्द्र" की स्थापना हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की ऐसी छात्राओं, जो उच्च

शिक्षा की ओर उन्मुख होकर इण्टरमीडियट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, के लिये कन्या विद्याधन योजना हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान योजना हेतु 637 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु "फार्म मशीनरी बैंक" की स्थापना के लिये महिलाओं के क्रियाशील स्वयंसेवी समूहों को वरीयता दिये जाने की योजना है। इससे कृषि में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के माध्यम से उनका सशक्तिकरण सम्भव हो सकेगा ।

विद्यालयों में पढ़ने वाली बच्चियों की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा उनके लिये हॉस्टल बनाये जाने हेतु 244 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

आधुनिकीकरण की योजनायें

जनसाधारण को बेहतर से बेहतर सुविधायें मिले इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रदेश की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नवीनतम और श्रेष्ठ तकनीकों का प्रयोग किया जाय। विभिन्न सेक्टर्स में राज्य सरकार द्वारा आधुनिकीकरण की कुछ महत्वपूर्ण पहलों का उल्लेख मैं करना चाहूँगा –

शहरों में विद्युत वितरण लाईनें जो अभी खम्भों से जुड़ी हैं, को अण्डरग्राउण्ड किये जाने की योजना तैयार की गई है क्योंकि अण्डरग्राउण्ड केबलिंग न केवल अधिक सुरक्षित है, अपितु इससे बिजली की चोरी भी रोकी जा सकती है । इस योजना के लिये बजट में 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

तीस हजार से अधिक आबादी वाले 168 शहरी क्षेत्रों में ऑन–लाईन बिलिंग की सुविधा प्रारम्भ कर दी गयी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी उपभोक्ताओं के बिलिंग डाटा को ऑन–लाईन किया जा रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से बिल जमा करने की सुविधा शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी प्राप्तियों को इन्टरनेट आधारित प्रणाली द्वारा जमा कराये जाने के लिये "ई–रिसीट" की व्यवस्था लागू कर दी गई है। ई–पेमेंट की व्यवस्था जो पूर्व से लागू थी, अब और सुदृढ़ हो गयी है।

पेंशनरों की सुविधा के लिये ऑन–लाईन पेंशन स्वीकृति प्रणाली पायलट आधार पर दो जनपदों में शुरू की गई है । इसमें पेंशन के कागजात ऑन–लाईन भेजे जायेंगे और पेंशन भुगतान आदेश भी ऑन–लाईन जारी किये जायेंगे। वृद्ध पेंशनरों द्वारा लाईफ सर्टिफिकेट बायोमीट्रिक मशीन के द्वारा घर बैठे अथवा साईबर कैफे से इन्टरनेट के माध्यम से दिया जा सकेगा और इसके लिये उन्हें कोषागार में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2012 के प्रथम चरण में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0सिटी) का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा । मेरठ, आगरा और कानपुर में आई0टी0पार्क्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट आधार पर राज्य के 06 जिलों में यथा–गाजियाबाद, गोरखपुर, गौतमबुद्धनगर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में लागू की गयी थी । अब इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों,ग्राम विकास अधिकारियों तथा लेखपालों को ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत टैबलेट उपलब्ध कराये जाएँगे जिससे वे अभिलेखों और सूचनाओं को ब्लॉक, तहसील एवं जिला स्तर पर सुगमता से भेज सकेगें। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

खतौनियों का कम्प्यूटरीकरण पूर्व में ही किया जा चुका है। अब भू–मानचित्रों और कलेक्ट्रेट एवं तहसीलों के राजस्व रिकॉर्ड रूम का डिजिटाइजेशन कराया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेंच, लखनऊ की पत्रावलियों के डिजिटाईजेशन हेतु 65 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बीमा योजनाओं से सम्बन्धित जानकारी मुहैय्या कराने के प्रयोजन से "संवेदन बीमा हेल्प लाईन" प्रारम्भ की जा रही है।

इसमें कॉल सेन्टर के साथ–साथ एक वेब–साईट भी प्रारम्भ की जायेगी जिसके माध्यम से बीमा दावों के निस्तारण में सुविधा हो सकेगी।

प्रदेश के बड़े महानगरों के प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रथम चरण में लखनऊ महानगर में 70 प्रमुख चौराहों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जा रहे हैं।

अपराधिक घटनाओं की सूचना फोन द्वारा पुलिस को दिये जाने की डायल 100 सिस्टम व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके लागू हो जाने पर प्रदेश में कहीं से भी 100 नम्बर डायल कर आपराधिक घटनाओं की सूचना पुलिस को दी जा सकेगी और पुलिस द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

कारागारों के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण में प्रदेश के 07 कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाईयों की स्थापना करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 25 कारागारों में ब्रॉड–बैण्ड आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूनिट क्रियाशील हैं जिसके द्वारा बंदियों की पेशी करायी जा रही है । द्वितीय चरण में प्रदेश के सभी कारागारों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जेलों में निरूद्ध गैंगस्टरों द्वारा जेल से ही अंजाम दी जा रही वारदातों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जेलों में जैमर लगवाये जाने की

योजना है जिसके लिये 73 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत टॉल फ्री नम्बर–108 की एम्बुलेंस समाजवादी स्वास्थ्य सेवा की जनता के मध्य बढ़ती लोकप्रियता एवं उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए 168 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 500 अतिरिक्त एम्बुलेंसों के क्रय के लिये 42 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 102 प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को घर से चिकित्सालय ले जाने एवं वापस लाने के लिये है। इस सेवा का उपयोग आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से दूसरी चिकित्सा इकाई तक लाभार्थियों को ले जाने के लिये भी किया जाता है। इस योजना से अब तक लगभग 16 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

अवस्थापना योजनायें

बिजली

अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 22 घण्टे से 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये प्रदेश में बिजली की मांग के सापेक्ष बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी

है और उपलब्ध बिजली के वितरण के लिये ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली का विकास किया जाना है।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली आपूर्ति के लिये बिजली की वर्तमान लगभग 10000 मेगावॉट की उपलब्धता को बढ़ाकर अक्टूबर, 2016 तक 21000 मेगावॉट करने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाये जाने तथा अन्य विद्युत उत्पादकों से पॉवर परचेज एग्रीमेन्ट के आधार पर बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों में को–जेनरेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत वितरण को सुदृढ़ किये जाने हेतु लगभग 550 नये 33/11 के0वी0उपकेन्द्र बनाने होंगे । इसके साथ ही 33 के0वी0, 11 के0वी0 उपकेन्द्रों एवं एल0टी0 लाईनों का निर्माण करना होगा । इस कार्य पर लगभग 6000 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

ग्यारहवीं एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लगभग 1,73,000 गांवों एवं मजरों के विद्युतीकरण जिसकी लागत लगभग 11,900 करोड़ रुपये है, पर कार्य प्रारम्भ हो गया है तथा वर्ष 2015–2016 में एक लाख गाँवों एवं मजरों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करना लक्षित है।

ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये 14,504 करोड़ रुपये तथा अनुरक्षण हेतु 11,260 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 25,764 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

लोक निर्माण

- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों और सेतुओं के निर्माण तथा रख–रखाव एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं तथा भवन कार्यों हेतु 12,181 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- जिला और अन्य सड़कों के अनुरक्षण के लिये 3005 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख /अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण हेतु आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत 370 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वर्ष 2015–2016 में जिला मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु 1,000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वर्ष 2015–2016 में 80 दीर्घ सेतुओं एवं 20 रेलवे उपरिगामी सेतुओं इस प्रकार कुल 100

सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

- प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गों का एक कोर रोड नेटवर्क चिन्हित किया गया है जिस पर विशेष ध्यान देते हुये सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण हेतु 712 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ऐसे राज्य राजमार्गों जो अभी भी सिंगल लेन / डेढ़ लेन के हैं,उनके चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु 675 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- इसके अतिरिक्त प्रदेश के राज्य राजमार्गों, प्रमुख जिला मार्गों एवं अन्य जिला मार्गों, जिन पर यातायात घनत्व अधिक है, के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 2358 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

- भारत –नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के 07 जनपदों में निर्मित किये जाने वाले मार्गों के लिये 370 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था है।

- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं हेतु 253 करोड़ रुपये तथा बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 72 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई

- शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव व जाम की समस्या को देखते हुए लखनऊ में शारदा सहायक पोषक नहर पर फैजाबाद मार्ग से गोसाईगंज – मोहनलालगंज मार्ग तक 06 लेन सड़क निर्माण की परियोजना हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश में सिंचाई सुविधा हेतु 73,997 किलोमीटर लम्बी नहर प्रणाली विकसित है। प्रदेश में पहली बार दोनों फसलों में पूर्ण पारदर्शिता के साथ मशीनों द्वारा सिल्ट सफाई का कार्य कराया गया है।

- वर्ष 2014–2015 खरीफ 1422 फसली हेतु परिकल्पित 9772 टेलों के सापेक्ष 9682 नहरों के टेल पर पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष 9364 टेलों पर पानी पहुँचाया गया । रबी 1422 फसली में परिकल्पित टेलों की संख्या 10183 के सापेक्ष 10040 टेलों पर पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है जो अब तक सर्वाधिक है।

- डॉ0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप योजना के लिये 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लघु सिंचाई

- निःशुल्क बोरिंग योजना के लिये 36 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मध्यम गहरे नलकूप योजना के लिये 76 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गहरी बोरिंग योजना के लिये 13 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नगर विकास

- इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में एलीवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु बजट में 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- नया सवेरा नगर विकास योजना हेतु 550 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु बजट में 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
- नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना विकास की जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 योजना के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत 150 करोड़ रुपये, नगरीय सीवरेज एव जल निकासी हेतु 249 करोड़ रुपये, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये 354 करोड़ रुपये तथा नगरीय सड़क सुधार योजना के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में सी0सी0रोड़ अथवा इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली निर्माण हेतु 310 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित हैं।

आवास एवं शहरी नियोजन

- प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- "सबके लिये आवास योजना" के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2014 तक 3578 भूखण्डों का विकास/भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 20,868 भूखण्डों/भवनों का निर्माण/विकास कार्य जारी है।

पर्यावरण संरक्षण

हमारा यह दायित्व है कि विकास के साथ–साथ भावी पीढ़ियों के लिये स्वस्थ एवं जीवन्त पर्यावरण मुहैया करायें, एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करायें जिसमें शुद्ध हवा और पानी सहजता से सुलभ हो। पर्यावरण के संरक्षण हेतु हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रही है। इनमें से कुछ प्रयासों का विवरण मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा।

- प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु डीजल/विद्युत के प्रयोग से बचाने के लिये लघु एवं सीमांत किसानों को अनुदान पर 6000 सोलर फोटोवोल्टैइक पम्पों का वितरण किया जायेगा जिसके लिये 126 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है।
- प्रदेश में पशुवधशालाओं के आधुनिकीरण हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गंगा नदी के किनारे स्थित 26 नगरों में लगभग 7000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये 359 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के लिये 75 करोड़ रुपये तथा झील संरक्षण योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सन्तुलित एवं सुनियोजित विकास तथा समाज के समस्त वर्गों को उनकी क्षमता के अनुसार विकसित भूमि, आवास, रोजगार के अवसर एवं स्वास्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य शहरी आवास एवं पर्यावरण नीति, 2014 जारी की गयी है।

- "राजीव आवास" योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों को स्लममुक्त करने की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना के लिये 38 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

- बुन्देलखण्ड में 20 मेगावॉट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजना के लिये लगभग 66 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिये बत्ती, पंखा एवं अन्य घरेलू उपकरण चलाये जाने हेतु सोलर पॉवर पैक उपलब्ध कराने के लिये 34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में एक किलोवाट क्षमता के सोलर पॉवर प्लाण्ट स्थापित किये जायेंगे जिससे इन विद्यालयों में

बिजली,पंखे और शुद्ध पानी की व्यवस्था हो सके।

- स्वच्छ भारत मिशन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण की लागत 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये की गई है तथा योजना के लिये 1533 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों के लिए बैटरी चालित रिक्शा प्रदान किये जाने की योजना के लिये 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- लखनऊ में गोमती नदी को साफ सुथरा तथा आस–पास के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिये गोमती नदी का चैनेलाइजेशन किया जायेगा जिसके लिये 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

- पर्यावरण के सुधार हेतु वैकल्पिक ऊर्जा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । वर्तमान समय में पूरे देश में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में को–जेनरेशन के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसको बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार द्वारा नीति बनाई गई है जिससे चीनी मिलों में अधिक से अधिक कोजेन प्लाण्ट लग सकें।

- नगरीय क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट तथा सीवेज ट्रीटमेन्ट की योजनायें संचालित हैं।

पी0पी0पी0 मोड पर वर्ष 2015–2016 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के क्रियान्वयन हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- जलवायु परिवर्तन (क्लाईमेट चेंज) जैसी बहुआयामी समस्याओं के निराकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा "उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण" का गठन किया गया है।

- शहर में आने–जाने के लिये साईकिल के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगरा और लखनऊ में साईकिल ट्रैक्स का निर्माण कराया जा रहा है। इसके उपरान्त अन्य शहरों में भी साईकिल ट्रैक्स का निर्माण कराया जायेगा।

- राजकीय बालक बालिका इण्टर कॉलेजों में क्लीन स्कूल ग्रीन स्कूल योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

विश्व स्तरीय अवस्थापना

- लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश की राजधानी में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा 04 महानगरों आगरा,कानपुर, वाराणसी और मेरठ में भी मेट्रो संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

- गाजियाबाद शहर में 1,838 करोड़ रुपये की लागत से 11 किलोमीटर लम्बी मेट्रो रेल विस्तार परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस–वे (ग्रीन फील्ड) के निर्माण हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
- लखनऊ में 50,000 हजार दर्शकों की क्षमता वाला अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है जिसकी कुल अनुमानित लागत 360 करोड़ है।
- लखनऊ में ही साईकिल प्रशिक्षण एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिये विश्व स्तरीय 8 साईकिल ट्रैक्स का वेलोड्रम एवं साईकिलिंग अकादमी स्थापित की जायेगी जिसकी लागत लगभग 168 करोड़ रुपये होगी।
- कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम को 33 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक बनाया जाएगा जिससे वहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय मैच आयोजित किये जा सकेंगे।
- जनपद लखनऊ में एक उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान जिसकी लागत लगभग 854 करोड़ रुपये होगी, का शिलान्यास हो चुका है । इसके लिये 100 एकड़ भूमि की व्यवस्था चक गंजरिया फार्म में की गयी है तथा 111 करोड़ रुपये बजट व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही जनपद

कन्नौज में भी कैंसर रोग संस्थान के निर्माण का निर्णय लिया गया है।

- जनेश्वर मिश्र पार्क जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन है। इसमें लंदन आई की तर्ज पर एक वृहत फेरिस व्हील लखनऊ आई की स्थापना भी कराई जा रही है।

- लखनऊ में कैंसर संस्थान, पुलिस मुख्यालय तथा डॉ0 राम मनोहर लोहिया राज्य प्रशासन एवं प्रबन्ध अकादमी के भवनों को सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जायेगा।

- माननीय उच्च न्यायालय के गोमती नगर,लखनऊ में भवन निर्माणाधीन है। इसमें अवध और विशेषकर लखनऊ के आर्कीटेक्चर की पिछली शताब्दी में जो शैली विकसित हुई है, उसी की अगली कड़ी के रूप में इसकी वास्तु की शैली को रखा गया है। भवन निर्माण के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सचिवालय के नये एनेक्सी भवन को विश्व स्तरीय स्थापत्य मानकों के अनुसार निर्मित किया जा रहा है। इसके लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- विधान सभा भवन के पुनरूद्धार (रेस्टोरेशन) के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- गाजियाबाद में देश के सबसे लम्बे 6 लेन–एलीवेटेड राजमार्ग का निर्माण गाजियाबाद

विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जायेगा जिससे दिल्ली से मेरठ तथा उसके आगे का यातायात सुगम हो जायेगा।

अन्य योजनायें एवं कार्यक्रम

- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत झाँसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर,बाँदा तथा चित्रकूट में सूखा राहत के लिये मल्टी सेक्टोरल एप्रोच के आधार पर क्षेत्र में सूखे की समस्या के निदान हेतु जल प्रबन्धन, सिंचाई सुविधाओं एवं पेयजल कार्य पैकेज के रूप में कराये जा रहे हैं । क्षेत्र के किसानों की आय में वृद्धि हेतु औद्यानिक विकास, दुग्ध विकास तथा पशुधन एवं कृषि विपणन के कार्यक्रमों को भी लिया गया है। वर्ष 2015–2016 के लिये 800 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है ।

- त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- मण्डल / जनपद / तहसीलों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- हम मानते हैं कि खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना बहुत महत्वपूर्ण है जिससे प्रदेश, देश एवं विश्व में खेलों में अपनी पहचान बना सके। खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु बजट में 289 करोड़ रुपये की

व्यवस्था की गयी है। उच्च स्तरीय कोच हमारे खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये मिल सकें, इसके लिये उनकी संविदा राशि 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है और खिलाड़ियों का डायट भत्ता बढ़ाकर 250 रुपये प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन कर दिया गया है।

- प्रदेश में पहली बार कलाकारों की कलाकृतियों का सही मूल्य दिलाने हतु ललित कला अकादमी में खुली नीलामी की व्यवस्था कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक सुरक्षा

- समाजवादी पेंशन योजना का आच्छादन वर्तमान वर्ष की तुलना में 5 लाख से बढ़ाते हुये वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 45 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किये जाने हेतु बजट में 2727 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिये 1613 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस योजना से लगभग 43 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

- मीसा /डी0आई0आर0 /राजनैतिक बन्दियों की पेंशन 6000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/आश्रितों की

पेंशन 8,811 से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी गयी है। योजना के लिये 420 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से आम आदमी बीमा योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य पात्र है।

- अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिये विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिये मात्राकृत किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं के लिये लगभग 2776 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

- विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत विकलांग जन को पेंशन दिये जाने हेतु 324 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

- शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अवशेष निर्माण कार्यो हेतु लगभग 60 करोड़

रुपये तथा विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना हेतु लगभग 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- स्कूल जाने वाले बच्चों में डिस्लेक्सिया व अटेंशन डेफीसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की योजना हेतु धनराशि की व्यवस्था की गई है।

- "आसरा योजना" के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है जिससे लगभग 8,000 आवासहीन परिवार लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

- अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान/ अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु बजट में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- वाराणसी के पॉवरलूम बुनकरों हेतु सौर ऊर्जा से संचालित इनवर्टर हेतु 44 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- सामग्री आपूर्ति हेतु यूपिका पर बुनकरों के बकाये के भुगतान के लिये बजट में धनराशि की व्यवस्था कर दी गई है।

शिक्षा

- अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 2100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 723 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति तथा फीस प्रतिपूर्ति के लिये 1092 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की छात्रवृत्ति एवं फीस प्रतिपूर्ति के लिये 977 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
- मदरसा/मकतब आधुनिकीकरण योजना के संचालनार्थ 285 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- 146 नये आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

- मेरिट आधारित लैपटॉप वितरण योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा

- "सर्व शिक्षा अभियान" में लगभग 9,977 करोड़ रुपये एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु लगभग 1,696 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना प्रस्तावित है।

- प्रदेश सरकार द्वारा मानकों के अनुरूप विद्यालयों की स्थापना तथा उनमें पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था एवं चहारदीवारी की व्यवस्था की जायेगी।

- 7,000 अतिरिक्त कक्षा–कक्षों का निर्माण तथा 20,000 विद्यालयों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु 1463 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जिसमें, 100 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु 350 करोड़ रुपये, कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में छात्रावासों के निर्माण एवं रख–रखाव के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित है।

- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ रुपये तथा

अवस्थापना सुविधाओं के लिये 60 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उच्च शिक्षा

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में 26 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जनपदों में 11 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। यह प्रयास है कि माह जुलाई, 2016 से इनमें पठन्–पाठन् प्रारम्भ किया जा सके।

- विगत वर्षो में 13 राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुये थे जिनके अधूरे निर्माण कार्यों को पूर्ण कराकर शीघ्र पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। उक्त प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 50 राजकीय महाविद्यालय उपलब्ध हो जायेंगे । इस हेतु 7 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राज्य विश्वविद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 134 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है तथा राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये 78 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के रेस्टोरेशन के लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

प्राविधिक शिक्षा

- प्रदेश में वर्तमान में दो तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित है तथा हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर की राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि को दृष्टिगत रखते हुये उसे तकनीकी विश्वविद्यालय में परिवर्तित किये जाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत देवीपाटन और बस्ती मण्डलों में एक–एक नये राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की जायेगी।

- प्रदेश के छात्रों का कौशल विकास कर रोजगार के बेहतर अवसर मुहैय्या कराये जाने के उद्देश्य से उन्नाव में स्किल डेवलपमेन्ट एवं डिजाइन संस्थान की स्थापना की जायेगी।

- जनपद गोण्डा की तहसील करनैलगंज और जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में नये पॉलीटेक्निक की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

- जनपद अम्बेडकर नगर , आजमगढ़, बाँदा, बिजनौर, कन्नौज, मैनपुरी एवं सोनभद्र में

एक–एक इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण किया जा रहा है ।

- निजी निवेश को बढ़ावा दिये जाने हेतु पी0पी0पी0 माडल पर जनपद लखनऊ के चक गंजरिया में एक आई0आई0आई0टी0 (IIIT)स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसका निर्माण प्रारम्भ हो गया है।

- प्रदेश की 79 संस्थाओं को कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर के रूप में पंजीकृत कराया गया है। यह संस्थायें अल्प शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अल्पकालीन तकनीकी एवं गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित कर रही हैं जिससे युवा रोजगार के अवसरों के साथ–साथ स्वरोजगार स्थापित कर स्वावलम्बी बन सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाने के लिये प्रदेश के असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जायेगी।

- प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में स्थित 40 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के दृष्टिगत सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया जायेगा।

निवेश वातावरण और औद्योगिक विकास

प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये जून, 2014 में नई दिल्ली में "निवेशक सम्मेलन" आयोजित किया गया था जो अत्यन्त सफल रहा । इसके अतिरिक्त प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 लागू की गई है। निवेश का अनुकूल माहौल पैदा होने लगा है और उसके अच्छे परिणाम भी आने शुरू हो गये हैं। प्रदेश में उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है तथा इसी क्रम में "निवेश मित्र योजना" तथा "औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली" प्रारम्भ की गयी है।

- प्रदेश के मूल अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण के लिये सरकार द्वारा एन0आर0आई0 विभाग का गठन किया गया है । अप्रवासी भारतीयों को एक नवीन वेब साइट के माध्यम से प्रदेश के विकास हेतु उठाये जा रहे कदमों की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी और प्रदेश में पूँजीनिवेश के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा।

- 1483 किलोमीटर लम्बे दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मे दादरी–नोएडा–गाजियाबाद निवेश क्षेत्र तथा मेरठ मुजफ्फरनगर औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं।

- कानपुर (ट्रांस गंगा परियोजना) में नई ग्रीन फील्ड एकीकृत टाउनशिप विकसित की जा रही है। 2100 एकड़ से अधिक की भूमि पर स्मार्ट सिटी के रूप में टाउनशिप विकसित किये जाने की योजना बनाई गयी है।

- नैनी (जनपद इलाहाबाद) में नई ग्रीन फील्ड एकीकृत टाउनशिप विकसित की जा रही है। इस एकीकृत टाउनशिप में 40 एकड़ क्षेत्रफल में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना एवं 10 एकड़ क्षेत्रफल में आई.टी.पार्क विकसित किया जायेगा।

- प्रदेश में चमड़ा उद्योग के और अधिक विकास हेतु 750 एकड़ भूमि पर सण्डीला (हरदोई) तथा रमाईपुर (कानपुर) में 2000 करोड़ रुपये के निवेश से 2 लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है।

- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। योजनान्तर्ग ग्रामीण क्षेत्र में 3000 ग्रामोद्योग इकाईयाँ स्थापित होंगी जिससे लगभग 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

- पॉवरलूम बुनकरों को अनुदानित दर पर विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कृषकों की भाँति पॉरवलूम बुनकरों को एक निर्धारित दर पर विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है। इस प्रयोजन हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- वस्त्र उद्योग नीति, 2014 के अनुरूप वस्त्र उद्योग एवं स्पिनिंग से सम्बन्धित उद्यमियों को सहातया प्रदान करने हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

- प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग के विकास के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, 2014 प्रख्यापित की गई है। यमुना एक्सप्रेस–वे तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में एक–एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई.एम.सी.) की स्थापना प्रस्तावित है।

- भदोही में कारपेट बाजार हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

कानून व्यवस्था

पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से हाईटेक कण्ट्रोल रूम की स्थापना की पहल की गयी है। जनपद कानपुर नगर व लखनऊ में अत्याधुनिक कण्ट्रोल रूम शुरू हो चुका है। जनपद गाजियाबाद एवं इलाहाबाद में अत्याधुनिक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जनपद वाराणसी एवं आगरा में भी अत्याधुनिक पुलिस कण्ट्रोल रूम की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में सिटी सर्विलांस सिस्टम लागू किये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश के सभी जनपदों में सड़क दुर्घटनाओं आदि की सूचना देने हेतु टॉल फ्री ट्रैफिक हेल्प लाईन के लिये टेलीफोन नम्बर 1073 स्थापित किया गया है । प्रदेश के मुख्य महानगरों में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली लागू की जा रही है जिसके लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

पुलिस कर्मियों के आवास निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम द्वारा प्रथम चरण में लगभग 4290 आवासों के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा समुचित संसाधनों की व्यवस्था की गई है।

कारागार प्रशासन एवं सुधार

जनपद सोनभद्र में जिला कारागार का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा जनपद कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, संतकबीर नगर, बरेली तथा आजमगढ़ में जिला कारागार का निर्माण प्रगति पर है।

चिकित्सा शिक्षा

मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में वाह्य रोगी तथा अन्तः रोगी विभागों को संचालित किया जा चुका है। मेडिकल कॉलेज, बाँदा में भी वाह्य रोगी सेवाएं प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। जनपद जौनपुर तथा बदायूँ में मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जनपद कन्नौज में हृदय रोग संस्थान तथा कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है ।

जनपद चन्दौली में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। नोएडा में बाल रोग सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ और डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय का विलय कर एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रदेश में एम0बी0बी0एस0 की 150 अतिरिक्त सीटों पर शिक्षण कार्य किया जायेगा।

राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी के कारण उनकी अधिवर्षता आयु में वृद्धि कर 60 वर्ष से 65 वर्ष की गई है तथा भर्ती की अधिकतम आयु की निर्धारित 40 वर्ष की सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पूर्व में मरीजों को 03 दिन की औषधियों का वितरण किया जाता था परन्तु वर्तमान में 03 दिन के स्थान पर 05 दिन की औषधियाँ मरीजों को वितरित की जा रही हैं तथा विशेष परिस्थितियों में मरीजों को 15 दिन की

औषधियाँ प्रदान की जा रही हैं। समस्त मरीजों का भर्ती शुल्क माफ कर दिया गया है। बी0पी0एल0कार्ड धारकों का समस्त उपचार एवं परीक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है।

प्रदेश की जनता को राजकीय चिकित्सालयों में एक्स–रे एवं पैथालॉजी जाँचों की सुविधा निःशुल्क कर दी गयी है तथा भर्ती शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दवाओं के लिये लगभग 587 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 में उपकरणों के क्रय हेतु 225 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 394 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना के लिये 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गई है ।

जिन मण्डल मुख्यालयों में मेडिकल कालेज उपलब्ध नहीं हैं, वहां 300 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय प्रस्तावित हैं यथा बरेली, मुरादाबाद एवं देवीपाटन । इस मद में 25 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

लखनऊ के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल के विस्तार हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था

है जिससे जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये 194 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक चिकित्सालय में स्वतंत्र विद्युत फीडर का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक प्रदेश में 80 चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर का निर्माण कराया जा चुका है तथा 46 राजकीय चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस योजना हेतु 15 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु 5840 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सरकारी डाक्टरों का पलायन रोकने के लिये उनकी सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उनके वेतनमानों में स्तरोन्नयन प्रदान किये जाने हेतु शर्तों को काफी उदार बनाया गया है जिसका असर यह होगा कि इस संवर्ग में स्थायित्व की भावना आयेगी और डाक्टरों के पलायन पर रोक लग सकेगी तथा इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा।

वन एवं पर्यटन

वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.82 प्रतिशत है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीलीभीत टाईगर रिजर्व एवं अमानगढ़ टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। लखनऊ एवं कानपुर प्राणि उद्यानों का उच्चीकरण, नवाबगंज व लाख बहोसी पक्षी विहारों का विकास, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास, इटावा में लॉयन सफारी व बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र की स्थापना एवं वन संसाधनों का उपयोग करते हुये ईको टूरिज्म विकसित करते हुये जन साधारण को पर्यावरण सुरक्षा हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये राज्य में ईको पर्यटन नीति तैयार की गयी है।

आगरा, लखनऊ, वाराणसी को सम्मिलित करते हुए ''हैरिटेज आर्क'' की परिकल्पना की गयी है और हमारी सरकार इन शहरों के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन व पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करेगी ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। हम पर्यटन को जन सहभागिता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगरा शहर में मेरी सरकार द्वारा ''मेरा आगरा अभियान'' का सफल आयोजन भी किया गया है।

"मैत्रेय परियोजना" को प्रभावी रूप से विकसित करने का निर्णय लिया गया है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन का विकास हो सकेगा और इससे क्षेत्र में आर्थिक प्रगति आ सकेगी।

विश्व बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 02 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों– आगरा–बृज कारीडोर तथा बौद्ध परिपथ के पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन एवं उच्चीकरण किया जा रहा है।

कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रमुख स्थलों को वायु–सेवा से जोड़ने हेतु वायु सेवा नीति घोषित की गई है जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण में लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी और आगरा को इस सेवा से जोड़ा जायेगा।

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैरिटेज सम्पत्तियों को होटलों में परिवर्तित करने के लिये हैरिटेज पर्यटन नीति लागू की गयी है।बुद्धिस्ट सर्किट तथा बुन्देलखण्ड सर्किट में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

न्याय

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ के गोमतीनगर में निर्माणाधीन नवीन भवन के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिये 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद न्यायालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये 300 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है।

अधिवक्ताओं के लिये

- अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 5 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

राजकोषीय सेवायें

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है । वित्तीय वर्ष 2015–2016 में वाणिज्य कर से बावन हजार छः सौ तिहत्तर करोड़ रुपये (52,673 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 10.9 प्रतिशत अधिक है।

आबकारी शुल्क

आबकारी शुल्क से सत्रह हजार पाँच सौ करोड़ रुपये (17,500 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान

बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 20.7 प्रतिशत अधिक है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क से चौदह हजार आठ सौ छत्तीस करोड़ रुपये (14,836 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 16.6 प्रतिशत अधिक है।

वाहन कर

वाहन कर से चार हजार छः सौ अट्ठावन करोड़ रुपये (4,658 करोड़ रुपये) की प्राप्ति का अनुमान बजट में लिया गया है जो 2014–2015 की तुलना में 17.9 प्रतिशत अधिक है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमान

मान्यवर,

अब मैं वित्तीय वर्ष 2015–2016 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा ।

- प्रस्तुत बजट का आकार तीन लाख दो हजार छः सौ सतासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (302687.32 करोड़ रुपये) है जो वर्ष 2014–2015 के बजट के सापेक्ष 10.2 प्रतिशत अधिक है ।
- इस आकार के बजट को वित्त पोषित करने हेतु बजट में संसाधनों की समुचित व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष

2014–2015 की अपेक्षा लगभग 13.5 प्रतिशत की वृद्धि सम्मिलित है ।

- बजट में नौ हजार तीन सौ अट्ठासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये (9388.79 करोड़ रुपये) की नई योजनायें सम्मिलित की गई हैं ।

राजकोषीय परिदृश्य

- राज्य सरकार द्वारा वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है । राज्य लगातार राजस्व बचत की स्थिति में है । राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत तक रहने का अनुमान है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 27.5 प्रतिशत अनुमानित है। राज्य सरकार द्वारा ऋण लेने की निर्धारित सीमा के अन्दर ही ऋण लिया जाना प्रस्तावित है। इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि राज्य लगातार राजकोषीय स्थायित्व बनाए रखने में सफल रहा है।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2015–2016 में दो लाख छियान्वे हजार सात सौ तेईस करोड़ पच्चीस लाख रुपये (296723.25 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में दो लाख उन्चास हजार आठ सौ अस्सी करोड़ तेईस लाख रुपये (249880.23 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा छियालिस

हजार आठ सौ तैंतालिस करोड़ दो लाख रुपये (46843.02 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं ।

- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश एक लाख अठहत्तर हजार छः सौ चौवालिस करोड़ ग्यारह लाख रुपये (178644.11 करोड़ रुपये) है । इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश छियासी हजार सात सौ उन्तीस करोड़ ग्यारह लाख रुपये (86729.11 करोड़ रुपये) सम्मिलित है ।

व्यय

- कुल व्यय तीन लाख दो हजार छः सौ सत्तासी करोड़ बत्तीस लाख रुपये (302687.23 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।
- कुल व्यय में दो लाख पन्द्रह हजार सात सौ छप्पन करोड़ अट्ठारह लाख रुपये (215756.18 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा छियासी हजार नौ सौ इकत्तीस करोड़ चौदह लाख रुपये (86931.14 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है ।
- आयोजनागत पक्ष के व्यय के लिये एक लाख छः हजार सात सौ बीस करोड़ बयालिस लाख रुपये (106720.42 करोड़ रुपये) की व्यवस्था की गई है ।

राजस्व बचत

- वर्ष 2015–2016 में चौंतीस हजार एक सौ चौबीस करोड़ पाँच लाख रुपये (34124.05 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है ।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2015–2016 में इकत्तीस हजार पाँच सौ उन्सठ करोड़ अस्सी लाख रुपये (31559.80 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.96 प्रतिशत है ।

समेकित निधि

समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् पाँच हजार नौ सौ चौंसठ करोड़ सात लाख रुपये (5964.07 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है ।

लोक लेखा

लोक लेखे से छः हजार पचपन करोड़ रुपये (6055 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम

वर्ष 2015–2016 में समस्त लेन–देन का शुद्ध परिणाम नब्बे करोड़ तिरानवे लाख रुपये (90.93 करोड़ रुपये) अनुमानित है ।

अन्तिम शेष

वर्ष 2015–2016 में प्रारम्भिक शेष चार हजार छः सौ तिरानवे करोड़ तिरपन लाख रुपये (4693.53 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष चार हजार सात सौ चौरासी करोड़ छियालिस लाख रुपये (4784. 46 करोड़ रुपये) होना अनुमानित है ।

मान्यवर, मैं मंत्रि–परिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ कि उनके सहयोग एवं परामर्श से तथा सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहायता से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ । मैं प्रमुख सचिव, वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की है । मैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी इस हेतु आभार प्रकट करता हूँ । राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया । महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति भी मैं उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिये अपना आभार प्रकट करता हूँ

मैं इस सदन के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति का आह्वान करता हूँ कि हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को तेजी से विकास और तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में मिलकर काम करें और सरकार

की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सरकार इस दिशा में कदम–से–कदम मिलाकर काम करेगी।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक वित्तीय वर्ष 2015–2016 का प्रदेश का बजट प्रस्तुत करता हूँ ।

फाल्गुन 6, शक संवत् 1936,

तद्नुसार,

दिनाँक : 24 फरवरी, 2015